

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 13, बुधवार, शाके 1948- जून 03, 2026 Jyaistha 13, Wednesday, Saka 1948- June 03, 2026	

भाग 5 (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 29, 2026

संख्या एफ.14(1)(1)श्रम/विधि/2016/00010 :-यतः राज्य में स्थित जापानी इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेन्ट जोन स्थित समस्त औद्योगिक ईकाईयों को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.04.2015 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14) की धारा 2 एन (VI) के अन्तर्गत लोकोपयोगी सेवा घोषित करने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची को संशोधित करते हुये क्रम संख्या-37 पर सम्मिलित किया गया है।

औरअतः राज्य सरकार द्वारा यह सन्तुष्टि कर ली गई है कि राज्य में स्थित जापानी इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेन्ट जोन स्थित समस्त औद्योगिक ईकाईयों को लोकोपयोगी सेवा घोषित किया जाना अपेक्षित है।

अतः राज्य सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 एन (VI) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य में स्थित “जापानी इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेन्ट जोन स्थित समस्त औद्योगिक ईकाईयों” को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 6 माह की अवधि के लिये लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश सहारण,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।